10/05/18

पत्रावली लोक अदालत कैम्प लाखरानीजा में पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी चोथमल, भूली बाई, महावीर उपस्थित। मजमें आम में वादीगण द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम पीपल्दा साण्ड तहसील दीगोद में स्थित पूर्व ख0नं0 423 तथा प्रथम सेटलमेंट पूर्व ख0नं0 387 थे। बाद सेटलमेंट वादीगण के दादा घांसी पुत्र गोरू की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण के दादा घांसी पुत्र कंवर्या थे, जिसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। जिसके वारिसान जगन्नाथ, चतरा, मथरा, धन्ना थे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा का नाम समान होनें के कारण वादीगण के दादा के खातें में स्थित आराजी पर प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण के पिता की भी मृत्यु हो गई तथा खाता इसी अनुरूप दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान सेटलमेंट बाद उपरोक्त आराजी के नवीन ख0नं0 491 की 1.67 हे0 भूमि कायम किये गये, जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के खातें में दर्ज चली आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक एवं कानूनी है।

मजमें आम में पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का प्रकरण के संदर्भ में मनन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन था उभयपक्ष की समझाईश की गई। समझाईश पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा जाहिर किया गया कि पूर्व ख0नं0 सहवन से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा का

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
नाम समान होने से वादीगण के दादा की आराजी पर हमारे पिता का नाम अंकित कर दिया। जिसे दुरूस्त किये जाने मे हमे कोई आपत्ति नही है. तथा ख0नं0 491 की आराजी पर वादीगण की काबिज काश्त चले आ रहे है हमारा कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार उभयपक्ष में मध्य मजमें आम में सहमति कायम होने पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। वादीगण के कथनों का समर्थन सरपंच ग्राम पंचायत झाडगावं एवं लाख सनीजा द्वारा भी किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण तथा मजमें आम में प्राप्त जानकारी अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पीपल्दा साण्ड तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 491 रकबा 1.67 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो। निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।	

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प लाख सनीजा

उनवान

1. बद्रीलाल पुत्र जग्गा उर्फ जगन्नाथ
2. श्रीराम पुत्र जग्गा उर्फ जगन्नाथ जाति कीर निवासी पीपल्दा सांड तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. चौथमल पुत्र जगन्नाथ
2. तेजमल पुत्र जगन्नाथ
3. तेजमल दत्तक पुत्र मथुरालाल
4. मदन पुत्र मन्नालाल
5. छोटूलाल पुत्र धन्नालाल
6. मोहन पुत्र धन्नालाल
7. शम्भू पुत्र धन्नालाल जाति कीर निवासीगण पीपल्दा सांड तहसील दीगोद
8. जगन्नाथी पुत्री घांसी जाति कीर निवासी बन्ध की खेडली तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
9. मूली पुत्री चतरा पत्नी मदन गोपाल जाति कीर निवासी मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा
10. तेजकरण पुत्र सोहन लाल जाति सुनार
11. गोपाल पुत्र सोहन लाल जाति सुनार निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–147 / 15

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मुद्दई रुबरु मिनजानिब एडवोकेट मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादीगण लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पीपल्दा साण्ड तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 491 रकबा 1.67 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।'' तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 10.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

Scanned by CamScanner